मा० रक्षा मुकन्दा

वाद नोट प्रूफ में दाखिल किया जावे। वादिनी मु० घेवर
गोरधनवाड़ी की पत्नी के आदेशिका पर हस्ताक्षर
करे। फर्जी पहचान वाली वकील ने की।
अतः वाद वादी नोट प्रूफ के दाखिल
किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार
होकर नस्तर के क्रम हो। दाखिल दफ्तर हो
तथ्यि सूले - न्यायालय के समाप्त गया।

मनी
वादी की हाजरी
मुकी छोड़ पत्नी
पत्नी वाद
नहीं चलाना
चाहती है।
Note pres

वकील वादी